

प्रति,

अतिरिक्त प्रशासकीय अधिकारी,
मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लि.,
मुख्यालय, भोपाल

विषय:- म.प्र.सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के नियम-19 के अंतर्गत वर्ष-2020 का चल
/अचल सम्पत्ति के विवरण की जानकारी बाबत।


संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक ऊविनि/प्रशा./चल/अ.संपत्ति/2239 भोपाल दिनांक 06.12.19

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के तहत चल/अचल सम्पत्ति वर्ष 2019-20 के
संबंध में चाही गई जानकारी निर्धारित प्रारूप में भरकर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर
आपकी ओर प्रेषित है।

2. उक्त जानकारी ई-मेल के माध्यम से भी आपकी ओर प्रेषित की गई है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार


(ओ.पी.शर्मा) 10/12/19
प्रभारी, जनसंपर्क अधिकारी

50/PRO
16/12/19

फार्म

1.

मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लि., भोपाल के अधिकारियों/कर्मचारियों की अचल सम्पत्ति का विवरण 2019
प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019

- अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **श्री ओमप्रकाश शर्मा** 2. वर्तमान धारित पद अति.सहा. लेखाधिकारी
- वर्तमान वेतन 87800 - अगली वेतनवृद्धि दिनांक- जुलाई 2020

राज्य, जिला, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया "" खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्त
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	(6.)	(7.)	(8.)
1. प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति वर्ष 1985 पिलानी जिला झुंझुनू (राजस्थान)	1. मकान 2. मकान (कच्चा)	-	रु. 20.00 लाख लगभग रु. 03.00 लाख लगभग	स्व. श्री मालीराम शर्मा, (पिताजी) स्व. श्री मालीराम शर्मा, (पिताजी) स्व. श्री मालीराम शर्मा, (पिताजी)	पैतृक पैतृक पैतृक पैतृक पैतृक पैतृक	36000/- निरंक निरंक निरंक निरंक निरंक	निरंक निरंक निरंक निरंक निरंक निरंक
		1. प्लॉट 7500 स्व.वा.फिट. 2. कृषि भूमि लगभग 13एकड़ 3. कृषि भूमि 7.5एकड़ 4. कृषि भूमि 3.25 एकड़ 5. कृषि भूमि 3.25 एकड़	रु. 35.00 लाख लगभग वर्ष 2005 में 13.00 लाख में विक्रय रु. 3.00 करोड़ लगभग वर्ष 2004 में रु.3.00 लाख में विक्रय	स्व. श्री मालीराम शर्मा, (पिताजी) -तदैव- -तदैव- -तदैव-	उक्त भूमि मेरे चाचा जी श्री गोविन्दराम शर्मा से समर्पण (भेंट) में प्राप्त हुई थी	चाचा जी से भेंट में प्राप्त	निरंक

जो लागू न हो काट दीजिए।
" ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
" इसमें अत्यकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

हस्ताक्षर
नाम
पद
निरंक

हस्ताक्षर
नाम
पद
निरंक

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके पवित्र के किस सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरा दें।

निरंक (2)

मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लि., भोपाल के अधिकारियों/कर्मचारियों की अचल सम्पत्ति का विवरण 2019
प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **श्री ओमप्रकाश शर्मा**
2. वर्तमान धारित पद अति.सहा. लेखाधिकारी
3. वर्तमान वेतन 87800/- अगली वेतनवृद्धि दिनांक- जुलाई 2020

राज्य, जिला. उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	(6.)	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्त
	(1.)	(2.)					
5. प्लेट नं. जे-103, मेपल ट्री, गॉव बडवई, वार्ड नं. 75, ब्लॉक फन्दा, तहसील हुजूर, एयरपोर्ट के पास भोपाल।	प्लेट साईज 109.38 Sq.mtr. वर्ष 2016 में लगभग राशि रु. 16.77 लाख में क्रय)	-	लगभग रु.25. 00 लाख	श्रीमती नीरू शर्मा (पत्नि) एवं कार्तिक शर्मा (पुत्र) के नाम पर	उक्त प्लेट को पिलानी स्थित कृषि भूमि में 20 फीट रास्ते की जमीन के विक्रय से प्राप्त हिस्से की राशि रु. 8.00 लाख एवं श्रीमती नीरू शर्मा की बचत एवं आय तथा स्वयं की बचत से अर्जित की गई। 1. रु.5.00 लाख चैक क्रमांक 010290 दिनांक 20.11. 2016 (नीरू शर्मा द्वारा भुगतान) 2. रु.4,01,858/- RTGS चैक क्रमांक 023523 दिनांक 29.11.2016 (नीरू शर्मा द्वारा भुगतान) 3. रु.7.00 लाख RTGS चैक क्रमांक 020955 दिनांक 29.11.2016 (ओ.पी.शर्मा द्वारा भुगतान) 4. रु.75,000/- चैक क्रमांक 023524 दिनांक 19. 12.2016 (नीरू शर्मा द्वारा भुगतान)	96000/-	

जो लागू न हो काट दीजिए।

” ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
” इसमें अत्यकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किस सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम **ओमप्रकाश शर्मा**
पद **अति.सहा. लेखाधिकारी**